

समक्ष एस. एस. संधवालिया, सी. जे. और एस. एस. दीवान, जे.

फेयरडील एजेंसियां (रजि.) अंबाला कैंट, याचिकाकर्ता

**बनाम**

**हरियाणा राज्य और अन्य, उत्तरदाता।**

**सिविल रिट सं. 1976 का 1177**

**8 अगस्त, 1978**

*हरियाणा सामान्य बिक्री तार अधिनियम (1973 का 20) - धारा 1 (3), 49 और 65 (1) - भारत का संविधान 1950 - सातवीं अनुसूची, सूची एच, प्रविष्टि 5 ए - हरियाणा अधिनियम की धारा 49 - क्या विधायिका की क्षमता से परे है - विधायिका - क्या प्रावधान को पूर्वव्यापी प्रभाव देने के लिए सक्षम है - धारा 49 के तहत जुर्माना क्या अधिनियम में किए गए बचत प्रावधान को ध्यान में रखते हुए नहीं लगाया जा सकता है धारा 65 का परंतुक।*

*हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 की धारा 49 का अधिनियमन भारत के संविधान 1950 की सातवीं अनुसूची की सूची II (माल की बिक्री और खरीद पर कर) की प्रविष्टि 54 के तहत विधायिका की सहायक या आकस्मिक शक्ति के क्षेत्र में है और कानून का एक सक्षम टुकड़ा है। (पैरा 8).*

*यह माना गया कि विधायिका को सौंपे गए विषय के संदर्भ में कानून बनाने की शक्ति अयोग्य है, संविधान द्वारा लगाई गई सीमा के अधीन है और ऐसी शक्ति का प्रयोग करते हुए, विधायिका के लिए एक कानून लागू करना सक्षम है जो या तो संभावित या पूर्वव्यापी है। नतीजतन, अधिनियम की धारा 49 इस आधार पर विधायिका की शक्तियों से परे नहीं है कि यह पूर्वव्यापी रूप से संचालित होती है। (पैरा 10).*

*यह माना गया कि हरियाणा अधिनियम की धारा 65 (1) के परंतुक का उद्देश्य ऐसे अधिकारों को संरक्षित करना है जो निरस्त अधिनियम ने प्रदान किए थे। चूंकि निरस्त अधिनियम द्वारा या उसके तहत कर की अधिक वसूली के लिए जुर्माना लगाने से कोई छूट नहीं दी गई थी, इसलिए हरियाणा अधिनियम के तहत निर्धारिती को ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है और इसलिए अधिनियम की धारा 49 के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है। (पैरा 12).*

*भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत रिट याचिका में प्रार्थना की गई है कि यह माननीय न्यायालय याचिकाकर्ता फर्म को निम्नलिखित राहत देने की कृपा करे: -*

- i. प्रतिवादियों को इस मामले से संबंधित पूरे रिकॉर्ड को इस माननीय न्यायालय को प्रेषित करने का निर्देश देते हुए एक रिट जारी करना ताकि वह आक्षेपित नोटिस अनुबंध पी -2 की वैधता, वैधता और औचित्य की जांच और जांच कर सके और इसके अवलोकन के बाद आक्षेपित नोटिस अनुबंध पी-2 को रद्द कर सके;

फेयरडील एजेंसियां (रजि.) अंबाला कैंट। बनाम हरियाणा राज्य  
आदि (एस. एस. दीवान, जे.)

- ii. प्रतिवादी संख्या 10 के समक्ष आगे की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए एकपक्षीय और अंतरिम स्थगन आदेश जारी करना। 2. रिट याचिका के अंतिम निर्णय तक;
- iii. प्रतिवादियों पर इस रिट याचिका के प्रस्ताव के नोटिस की सेवा को समाप्त करने के लिए क्योंकि एकपक्षीय स्थगन आदेश के लिए प्रार्थना की गई है;
- iv. नए अधिनियम की धारा 49, 65 और 1 (3) को भारत के संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर घोषित करना;
- v. अनुबंध पी-1 की प्रमाणित प्रति दाखिल करने से बचें।
- vi. इस याचिका की लागत को याचिकाकर्ता फर्म को देना; और ऐसी अन्य राहत जो यह माननीय न्यायालय उचित और समीचीन समझे, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, जिसके लिए याचिकाकर्ता फर्म हकदार पाई जाती है, भी दी जा सकती है।

एस. सी. सिब्बल, अधिवक्ता।

याचिकाकर्ता की ओर से उनके साथ वकील आरपी साहनी ने भी पैरवी की।

हरियाणा के महाधिवक्ता एस. सी. मोहंता और उत्तरदाताओं के लिए वरिष्ठ डी. ए. जी. श्री नौबत सिंह।

## निर्णय

एस. एस. दीवान, जे.

1. 1976 की दो सिविल रिट याचिका संख्या 1177, मेसर्स फेयरडील एजेंसियां (रजि.) अंबाला कैंट। बहुत। हरियाणा राज्य और अन्य और 1977 के 1471 मेसर्स शिव कुमार हरि प्रकाश, हिसार वी। इस निर्णय द्वारा हरियाणा राज्य और अन्य राज्यों का एक साथ निपटान किया जा रहा है।
2. याचिकाओं से सामने आने वाले तथ्य, जिन्हें बताए जाने की आवश्यकता है, वे हैं: याचिकाकर्ता हरियाणा राज्य में व्यवसाय कर रहे हैं। उन्हें पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1948, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 और बाद में हरियाणा सामान्य बिक्री अधिनियम, 1973 (इसके बाद क्रमशः पंजाब अधिनियम, केंद्रीय अधिनियम और हरियाणा अधिनियम के रूप में संदर्भित) के तहत डीलरों के रूप में पंजीकृत किया गया था। मूल्यांकन वर्ष 1969-70 के संबंध में, सिविल रिट संख्या 1177 में याचिकाकर्ता को 29 अक्टूबर, 1974 को आकलन प्राधिकरण, अंबाला के आदेश द्वारा पंजाब अधिनियम के साथ-साथ केंद्रीय अधिनियम के तहत बिक्री कर के लिए मूल्यांकन किया गया था। सिविल रिट संख्या

1471 में याचिकाकर्ता के मामले में वर्ष 1968-69 के लिए आकलन आदेश 29 दिसंबर, 1969 को दोनों अधिनियमों के तहत कर निर्धारण प्राधिकारी, हिसार द्वारा किया गया था। इसके बाद उप आबकारी और कराधान आयुक्त, अंबाला ने सिविल रिट संख्या 1177 में याचिकाकर्ता को 19 जनवरी, 1976 को एक नोटिस जारी किया, और इस तरह याचिकाकर्ता को हरियाणा अधिनियम की धारा 49 (3) के संदर्भ में दंड के लिए अपनी देयता के सवाल को निर्धारित करने के उद्देश्य से कार्यवाही में उपस्थित होने की आवश्यकता थी। केन्द्रीय अधिनियम के अंतर्गत अनुमेय राशि का निर्धारण। 23 फरवरी, 1977 को इसी तरह का एक नोटिस कर निर्धारण प्राधिकारी, हिसार द्वारा याचिकाकर्ता को केंद्र की धारा 9 (2) के तहत सिविल रिट संख्या 1471 में जारी किया गया था।

अधिनियम, हरियाणा अधिनियम की धारा 49 के साथ पढ़ा जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ताओं ने कार्यवाही में उपस्थित नहीं होने का फैसला किया और इसके बजाय अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए नोटिस को रद्द करने के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। विद्वान वकील द्वारा प्रत्येक मामले में नोटिस की वैधता को चुनौती दी गई है और यह तर्क दिया गया है कि:-

1. हरियाणा अधिनियम की धारा 49 जिसके तहत जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है, विधायिका की क्षमता से परे है;
2. विधायिका धारा 49 को पूर्वव्यापी प्रभाव देने के लिए सक्षम नहीं थी, ताकि 14 नवंबर, 1967 से प्रभावी हो सके;
3. धारा 49 को सेवा में नहीं लगाया जा सकता है। हरियाणा अधिनियम की धारा 65 के परंतुक में किए गए बचत प्रावधान को ध्यान में रखते हुए जुर्माना लगाना;
4. केन्द्रीय अधिनियम में कर की राशि की अधिक वसूली के लिए जुर्माना लगाने के प्रावधान के अभाव में, हरियाणा अधिनियम की धारा 49 का सहारा लिया जा सकता है, इस तरह के संग्रह के लिए याचिकाकर्ताओं को दंडित नहीं किया जा सकता है।

इन विवादों पर निम्नानुसार विचार किया जा रहा है -

हरियाणा अधिनियम की धारा 49, जिसके अधिनियमित करने के लिए विधायिका की योग्यता पर प्रश्न उठाया गया था, इन शब्दों में है:

1. कोई भी व्यक्ति किसी भी सामान की बिक्री या खरीद के संबंध में कर के रूप में कोई राशि एकत्र नहीं करेगा, जिस पर इस अधिनियम के तहत कोई कर देय नहीं है।
2. कोई भी व्यक्ति, जो पंजीकृत डीलर नहीं है और किसी भी बिक्री या खरीद के संबंध में कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, किसी भी माल की

फेयरडील एजेंसियां (रजि.) अंबाला कैंट। बनाम हरियाणा राज्य  
आदि (एस. एस. दीवान, जे.)

बिक्री या खरीद पर किसी अन्य व्यक्ति से कर के रूप में कोई राशि एकत्र नहीं करेगा और कोई भी पंजीकृत डीलर इस अधिनियम के तहत उसके द्वारा देय कर की राशि से अधिक कर के रूप में कोई राशि एकत्र नहीं करेगा।

3. यदि कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, कर के रूप में कोई राशि एकत्र करता है, या एक पंजीकृत डीलर होने के नाते उसके द्वारा देय कर से अधिक कर के माध्यम से कोई राशि एकत्र करता है या अन्यथा उपधारा (1) और (2) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कर एकत्र करता है, तो वह भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, किसी भी कर के अलावा, जिसके लिए वह उत्तरदायी हो सकता है, पांच सौ रुपये से अधिक की राशि का जुर्माना, या इस तरह एकत्र की गई राशि का दोगुना, जो भी अधिक हो।

3, इस धारा को अधिनियम की धारा 1(3) के आधार पर विधायिका द्वारा 14 नवंबर, 1967 से पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया था।

4) पंजाब अधिनियम की धारा 10 (ए), जिसे हरियाणा विधानमंडल द्वारा 14 नवंबर, 1967 से प्रभावी होने के लिए हरियाणा अधिनियम में शामिल किया गया था, जिसका संदर्भ योग्यता के प्रश्न पर चर्चा के दौरान दिया जाएगा, इस प्रकार है: –

1. कोई भी डीलर, जो इस अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, इस अधिनियम के तहत कर के माध्यम से एक राशि एकत्र नहीं करेगा; न ही इस अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी डीलर इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसा कोई संग्रह करेगा।
2. यदि कोई डीलर, जो इस अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, इस अधिनियम के तहत कर के रूप में कोई राशि एकत्र करता है, तो ऐसा डीलर राज्य सरकार को ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से भुगतान करेगा, जो हो सकता है। इस प्रकार एकत्र की गई राशि निर्धारित की गई है।
3. यदि इस अधिनियम के अधीन कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी कोई डीलर ऐसे लेन-देन पर कर एकत्र करता है जो इस अधिनियम के तहत कर के लिए उत्तरदायी नहीं है या इस अधिनियम के तहत लगाए गए कर से अधिक है, तो ऐसा डीलर राज्य सरकार को कर के अतिरिक्त, इस प्रकार एकत्र की गई राशि का भुगतान ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से करेगा जो विहित की जाए।

4. यदि उप-धारा (2) या उप-धारा (3) के तहत किसी डीलर द्वारा एकत्र किए गए कर की राशि का भुगतान राज्य सरकार को समय के भीतर और निर्धारित तरीके से नहीं किया जाता है, तो यह भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य होगा;

बशर्ते कि ऐसे डीलर को भुगतान करने वाले व्यक्ति द्वारा की गई ऐसी राशि के किसी भी दावे का भुगतान राज्य सरकार का दायित्व होगा।

5) हरियाणा राज्य के विद्वान महाधिवक्ता ने आर.एस. के मामले में उच्चतम न्यायालय के हाल के निर्णय की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। *जोशी, बिक्री कर अधिकारी गुजरात बनाम अजी मिल्स लिमिटेड और एक अन्य*<sup>1</sup> ने कहा कि इसमें जो कुछ भी कहा गया था, उसे देखते हुए धारा 49 को अधिनियमित करने के लिए विधायिका की योग्यता अब चुनौती देने के लिए खुली नहीं है। बॉम्बे सेल्स टैक्स एक्ट (1959 की संख्या 51) की धारा 46 और 37, जो उनकी विधायी क्षमता के दृष्टिकोण से विचार योग्य हैं, इन शर्तों में हैं;

“46. (1) कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु की बिक्री के संबंध में कर के रूप में कोई राशि एकत्र नहीं करेगा, जिस पर धारा 5 के आधार पर कर देय है।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो पंजीकृत डीलर नहीं है और उसके संबंध में कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है; कोई भी बिक्री या खरीद, किसी भी माल की बिक्री पर किसी अन्य व्यक्ति से कर के रूप में कोई राशि एकत्र करेगी और कोई भी पंजीकृत डीलर इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत उसके द्वारा देय कर की राशि से अधिक कर के रूप में कोई राशि एकत्र नहीं करेगा..... ”

37. (1) (क) यदि कोई व्यक्ति नहीं है; इस अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी एक डीलर, कर के माध्यम से कोई राशि एकत्र करता है, या एक पंजीकृत डीलर होने के नाते उसके द्वारा देय कर से अधिक कर के माध्यम से कोई राशि एकत्र करता है, या अन्यथा धारा 46 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कर एकत्र करता है, वह किसी भी कर के अलावा, जिसके लिए वह उत्तरदायी हो सकता है, भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। जुर्माना निम्नानुसार है:

1. जहां खंड (क) में उल्लिखित उल्लंघन किया गया है, वहां दो हजार रुपये से अधिक की राशि का जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है; - और, इसके अलावा, धारा 46 का उल्लंघन करते हुए कर के रूप में व्यक्ति द्वारा एकत्र की गई कोई भी राशि राज्य सरकार को जब्त कर ली जाएगी।

6) उच्चतम न्यायालय ने पिछले निर्णय की समीक्षा के आधार पर इन धाराओं को अधिनियमित करने के लिए राज्य विधानमंडल की योग्यता को बरकरार रखा और इस प्रकार टिप्पणी की:-

<sup>1</sup> (1977) 40 बिक्री कर मामले, 497

फेयरडील एजेंसियां (रजि.) अंबाला कैंट। बनाम हरियाणा राज्य  
आदि (एस. एस. दीवान, जे.)

"बॉम्बे बिक्री कर अधिनियम की धारा 37 (1) (ए) और 46 (2) (1959 का 51 जैसा कि गुजरात राज्य पर लागू होता है) राज्य विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं हैं क्योंकि वे प्रावधान भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 64 के साथ पढ़ी गई प्रविष्टि 54 के तहत राज्य विधानमंडल की सहायक या आकस्मिक शक्तियों की सीमा के भीतर आते हैं। वे संविधान के अनुच्छेद 14 या 19 (एल) (एफ) का भी उल्लंघन नहीं करते हैं। इसलिए राज्य विधानमंडल के लिए यह अधिनियमित करने की अनुमति है कि डीलरों द्वारा बिक्री कर के रूप में एकत्र की गई राशि, लेकिन राज्य कानून के तहत अपरिहार्य नहीं है और इसके द्वारा निषिद्ध है, को सरकारी खजाने में दंडात्मक रूप से जब्त किया जाना चाहिए।

धारा 37 (1) में जब्ती खंड राजकोषीय कानून के प्रवर्तन में सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए एक दंडात्मक उपाय है और यह पूरी तरह से निहित शक्तियों के क्षेत्र में आता है। अतिरिक्त संग्रह को जब्त करने के दंड सहित सभी वास्तविक दंडात्मक उपाय वैध हैं, जो बिक्री कर लेवी को ठीक करने में सक्षम विधायिका की सहायक शक्तियों की सीमा के भीतर हैं। तथ्य यह है कि डीलरों द्वारा किए गए अवैध संग्रह के आंकड़ों और राज्य को जब्त की गई राशि के बीच अंकगणितीय पहचान है, यह वैचारिक भ्रम पैदा नहीं कर सकता है कि जो प्रदान किया गया है वह सजा नहीं है, बल्कि धन का हस्तांतरण है। यह धारणा सही नहीं है कि दंड या सजा को पूर्ण या बिना गलती के दायित्व के रूप में नहीं डाला जा सकता है, लेकिन इससे पहले *मेन्स री* द्वारा किया जाना चाहिए। इसलिए, यह तर्क कि धारा 37 (1) गलती की परवाह किए बिना एक भारी दायित्व को बांधती है, जब्ती को दंड के चरित्र से वंचित करने में कोई बल नहीं है। तथ्य यह है कि धारा 37 (1) में *दंड को* बाहर रखा गया है और दंड की जब्ती बहुत अधिक हो सकती है, विधायी नीति के लिए अनिवार्य है, न कि न्यायिक करुणा के लिए।

एक विकासशील देश में, जहां बड़ी संख्या में लोग अशिक्षित और गरीबी रेखा से नीचे हैं, और संबंधित अधिकांश वस्तुएं उनकी दैनिक आवश्यकताओं का गठन करती हैं, कर लगाने की शक्ति और खरीदारों को गैरकानूनी बोझ के अधीन होने से बचाने के लिए आकस्मिक शक्ति के बीच पर्याप्त संबंध है। सामाजिक न्याय खंड, जो कर प्रावधानों से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं, को संयोग से केवल एक उपकरण या इच्छा के रूप में नहीं देखा जा सकता है।

(7) हरियाणा अधिनियम की धारा 49 के प्रावधान बॉम्बे बिक्री कर अधिनियम की धारा 46 (1) (2) और 37 (एल) (ए) में किए गए प्रावधानों के अनुरूप हैं।

(8) इसलिए, बॉम्बे अधिनियम के प्रावधानों के संबंध में विधायी क्षमता पर सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण हरियाणा अधिनियम की धारा 49 पर उपयुक्त रूप से लागू होगा ताकि यह माना जाए कि धारा का अधिनियमन सूची II की प्रविष्टि 54 - (माल की बिक्री और खरीद पर कर) के तहत कानून की सहायक या आकस्मिक शक्ति के क्षेत्र में है। संविधान और कानून का एक सक्षम टुकड़ा है।

(9) **आर. अब्दुल कादर एंड कंपनी बनाम बिक्री कर अधिकारी, हैदराबाद<sup>2</sup> और अशोका मार्केटिंग लिमिटेड, बनाम बिहार राज्य और एक अन्य<sup>3</sup> मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले**, जिन पर विद्वान वकील ने अपनी दलील का समर्थन करने के लिए भरोसा किया, इन मामलों में विचार के लिए आए कानून के प्रावधानों और हरियाणा अधिनियम की धारा 49 के प्रावधानों के बीच स्पष्ट अंतर को देखते हुए पूरी तरह से अप्रासंगिक हैं। प्रत्येक मामले में बिक्री कर अधिनियम ने पंजाब अधिनियम की धारा 10 ए (3) के समान ही एक प्रावधान किया है, इस आशय का कि एक डीलर द्वारा अधिनियम के तहत देय राशि से अधिक कर संग्रह की राशि का भुगतान सरकार को किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने दो धाराओं को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि संविधान की सूची II की प्रविष्टि 54 से जुड़ी सहायक या आकस्मिक शक्ति का दायरा विधायिका को यह प्रावधान करने की अनुमति देने तक नहीं हो सकता है कि हालांकि कर के माध्यम से एकत्र की गई अतिरिक्त राशि, संबंधित कर प्रविष्टि के तहत बनाए गए कानून के तहत लागू नहीं है। इसका भुगतान सरकार को इस तरह किया जाएगा जैसे कि यह एक कर था। सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों धाराओं को हटाने का जो कारण दिया है, वह स्पष्ट रूप से हरियाणा अधिनियम की धारा 49 पर लागू नहीं हो सकता है, जो किसी डीलर द्वारा कर के अनधिकृत संग्रह की स्थिति में जुर्माना लगाने का अधिकार देता है। विवाद विफल हो जाता है।

#### विवाद नंबर 2

(10) यह तर्क कि विधायिका के पास हरियाणा अधिनियम की धारा 49 को देने की शक्ति नहीं है, जो 5 मार्च, 1973 को 14 नवंबर, 1967 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू हुई थी, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दृढ़ता से तय कानून की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जांच नहीं की जा सकती है कि उसे सौंपे गए विषय के संदर्भ में कानून बनाने की विधायिका की शक्ति अयोग्य है। संविधान और यह कि ऐसी शक्ति का प्रयोग करते हुए, विधायिका के लिए एक कानून अधिनियमित करने के लिए सक्षम है जो! या तो संभावित या पूर्वव्यापी है। कानून की इस स्थिति में जब इंगित किया गया, तो विद्वान वकील उठाए गए विवाद के समर्थन में किसी भी तर्क को आगे बढ़ाने में असमर्थ थे। नतीजतन, यह माना जाता है कि हरियाणा अधिनियम की धारा 49 इस आधार पर विधायिका की शक्तियों से बाहर नहीं है कि यह पूर्वव्यापी रूप से संचालित होती है।

#### विवाद नंबर 3

(11) हरियाणा अधिनियम की धारा 65(1) और इसके परंतुक जिस पर विद्वान वकील द्वारा विवाद आधारित है, इन शर्तों में है: – ;

"65. (1) पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1948 (इसके बाद निरस्त अधिनियम के रूप में संदर्भित), को निरस्त किया जाता है:

परन्तु ऐसा निरसन निरसित अधिनियम के पिछले प्रचालन को प्रभावित नहीं

<sup>2</sup> (1964) 15 एसटीसी 403

<sup>3</sup> (1970) 26 एसटीसी 254

फेयरडील एजेंसियां (रजि.) अंबाला कैंट। बनाम हरियाणा राज्य  
आदि (एस. एस. दीवान, जे.)

करेगा या उसके अधीन पहले से अर्जित, उपार्जित या व्यय किए गए किसी अधिकार, शीर्षक, दायित्व या दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा और उसके अधीन की गई किसी भी बात या की गई किसी कार्रवाई के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या लिया गया माना जाएगा, जैसे कि यह अधिनियम उस तारीख को लागू हुआ था जिस तारीख को ऐसा कुछ किया गया था (या कार्रवाई की गई थी), और इस अधिनियम के लागू होने पर निरस्त अधिनियम के तहत देय कर और अन्य राशियों के सभी बकाया को इस तरह से वसूल किया जा सकता है जैसे कि वे इस अधिनियम के तहत अर्जित किए गए थे।

(12) तर्क यह है कि जहां तक पंजाब अधिनियम, जिसके तहत मूल्यांकन किया गया था, में मूल्यांकन के वर्षों के दौरान कर के अतिरिक्त संग्रह के लिए दंड का प्रावधान नहीं था, याचिकाकर्ताओं ने अधिनियम की धारा 65 के परंतुक के तहत अपना अधिकार हासिल कर लिया था, ऐसा दंडित नहीं किया जाना चाहिए। यह तर्क पूरी तरह से गलत है और परंतुक के पहले भाग की व्याख्या पर जोर दिया गया है जो निरस्त अधिनियम के तहत अर्जित अधिकारों और देयता को बचाने का प्रावधान करता है। निर्विवाद रूप से, निरस्त अधिनियम द्वारा या उसके तहत कर के अतिरिक्त संग्रह के लिए जुर्माना लगाने से कोई छूट नहीं दी गई थी। नतीजतन, याचिकाकर्ताओं को ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया है जिसके लिए दावा किया जा रहा है या संभवतः अर्जित किया जा सकता है।

(13) विद्वान वकील ने विवाद का समर्थन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दो निर्णयों पर भरोसा किया, एक **तमिलनाडु राज्य बनाम मैसर्स स्टार टोबैको कंपनी**<sup>4</sup> का मामला और एक अन्य मामले में **बिक्री कर अधिकारी बनाम हनुमान प्रसाद**,<sup>5</sup> **तमिलनाडु राज्य** के मामले में प्रतिवादी के मामले में बिक्री कर का आकलन मद्रास सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1939 के तहत किया गया था। लेकिन मद्रास सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1959 के लागू होने के बाद, जिसने धारा 61 द्वारा 1939 अधिनियम को निरस्त कर दिया, अपीलीय प्राधिकरण द्वारा मूल्यांकन आदेश के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई थी। ऐसी स्थिति में, अपीलीय प्राधिकारी 1939 के अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत मूल्यांकन को फिर से खोलने के लिए सक्षम था। इसके बजाय, मूल्यांकन प्राधिकारी ने 1959 के अधिनियम के तहत निहित अपनी शक्ति का उपयोग करने का दावा करते हुए ऐसा किया। सवाल उठा कि क्या वह 1959 अधिनियम की धारा 61 के परंतुक में किए गए बचत प्रावधान के मद्देनजर मूल्यांकन को फिर से खोल सकते हैं जो हरियाणा अधिनियम की धारा 65 के परंतुक के समान है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपीलीय प्राधिकरण द्वारा अपने मामले को फिर से खोलने के प्रावधान के तहत करदाता को मूल्यवान अधिकार प्राप्त हुआ और परिणामस्वरूप मूल्यांकन प्राधिकरण मूल्यांकन को फिर से खोलने के लिए सक्षम नहीं था।

(14) बिक्री कर अधिकारी के दूसरे मामले में **हनुमान प्रसाद** (सुप्रा) प्रतिवादी को केंद्रीय प्रावधानों और बरार बिक्री कर, अधिनियम, 1947 के तहत बिक्री कर के लिए मूल्यांकन किया

<sup>4</sup> एआईआर 1973 एस, सी।

<sup>5</sup> (1967) 19 एस.टी.सी.



गया था। मध्य प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1958 के प्रवर्तन के कुछ समय बाद प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में आदेश दिया गया था, जिसने धारा 52 द्वारा 1947 के अधिनियम को निरस्त कर दिया था। धारा 2 का परंतुक व्यावहारिक रूप से हरियाणा अधिनियम की धारा 65 के परंतुक के समान शब्दों में था और इसने 1947 अधिनियम के तहत प्राप्त अधिकारों को बचाया। 3 साल के अंतराल के कुछ समय बाद मूल्यांकन प्राधिकारी ने कार्रवाई शुरू की ताकि प्रतिवादी का इस आधार पर पुनर्मूल्यांकन किया जा सके कि उसके कारोबार का एक हिस्सा 1947 अधिनियम के तहत मूल्यांकन से बच गया था, जिसके भीतर पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही शुरू की जा सकती थी, वह वर्ष की तारीख से तीन साल थी। नतीजतन, प्रतिवादी ने इस आधार पर कार्यवाही की वैधता पर सवाल उठाया कि वे समय की सीमा में थे। असेसिंग अथॉरिटी की ओर से दलील दी गई थी कि 1958 के एक्ट की धारा 19 के तहत असेसमेंट की अवधि 5 साल थी। सुप्रीम कोर्ट और इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने आकलन प्राधिकरण की दलील को खारिज कर दिया और 1958 के अधिनियम की धारा 52 के परंतुक पर भरोसा करते हुए कहा कि बचत प्रावधान पाया जाना चाहिए; परंतुक में प्रतिवादी के अधिकार को उस अवधि के संबंध में संरक्षित किया गया था जिसके भीतर पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही शुरू की जा सकती थी और इसलिए उक्त अवधि की समाप्ति के बाद शुरू की गई कार्यवाही को रद्द कर दिया गया था।

(15) ऐसा प्रतीत होता है कि इन दोनों मामलों में, सही तरीके से, निरसित अधिनियम के तहत सहायक के पास आ गया था, जिसे निरसन अधिनियम द्वारा संरक्षित किया गया था। यह विवाद पूरी तरह से आधारहीन है और इसे खारिज किया जाता है।

#### विवाद नंबर 4

(16) इस तर्क के समर्थन में कि कर की वसूली के लिए ओएफ जुर्माना लगाने को अधिकृत करने वाली हरियाणा अधिनियम की धारा 49 को तब तक लागू नहीं किया जा सकता है जब तक कि केंद्रीय अधिनियम में इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं पाया जाता है, विद्वान वकील **खेमका एंड कंपनी (एजेसियां) बनाम महाराष्ट्र राज्य** के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हैं। वकील ने कहा कि केंद्रीय अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। **खेमका एंड कंपनी में** ऐसे में प्रश्न उठा कि क्या राज्य अधिनियम की धारा 16(4) के आधार पर राज्य प्राधिकरण में रह रहे किसी डीलर को इस अधिनियम के तहत कर के भुगतान में देरी के लिए दंडित करने की शक्ति का उपयोग वे इस तरह की चूक के दोषी पाए गए किसी डीलर के खिलाफ वैध रूप से कर सकते हैं। राज्य केंद्रीय अधिनियम की धारा 9 पर निर्भर करता था जो अधिनियम के तहत जुर्माना लगाने के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा की गई कार्रवाई के बचाव में कर और दंड लगाने और एकत्र करने का प्रावधान करता है। धारा के दायरे

फेयरडील एजेंसियां (रजि.) अंबाला कैंट। बनाम हरियाणा राज्य  
आदि (एस. एस. दीवान, जे.)

की जांच करने के बाद, न्यायालय राज्य से सहमत नहीं हुआ और कहा:

उन्होंने कहा, 'केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 में इसे लागू करने का कोई प्रावधान नहीं है। (ग) कर के भुगतान में विलंब अथवा चूक के लिए दंड और निर्धारित समय के भीतर कर का भुगतान न करने पर जुर्माना लगाने संबंधी राज्य बिक्री कर अधिनियम के प्रावधान केन्द्रीय अधिनियम के अंतर्गत देय कर के संबंध में केन्द्रीय अधिनियम के अंतर्गत डीलरों पर जुर्माना लगाने के लिए लागू नहीं होते हैं। नतीजतन, अधिकारियों के लिए बॉम्बे सेल्स टैक्स एक्ट, 1953 की धारा 16 (4) के प्रावधानों को लागू करने की अनुमति नहीं है, ताकि डीलर द्वारा निर्धारित समय के भीतर केंद्रीय अधिनियम के तहत देय बिक्री कर का भुगतान करने में विफलता के लिए जुर्माना लगाया जा सके।

(17) यह इस प्रकार है कि यदि केंद्रीय अधिनियम की धारा 9 उस समय मौजूद थी जब सुप्रीम कोर्ट ने उपरोक्त मामले का फैसला किया था, तो विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्क अनुत्तरित होंगे और उन्हें स्वीकार करना होगा। लेकिन केंद्रीय बिक्री कर (संशोधन) अधिनियम (1976 की संख्या 103) नामक विधायी अधिनियमन के मद्देनजर तब से स्थिति पूरी तरह से बदल गई है, जिसे 7 सितंबर 1976 को राष्ट्रपति की सहमति मिली थी। संशोधन अधिनियम की धारा 6 द्वारा, केंद्रीय अधिनियम की धारा 9 में उप-धारा 2 (ए) नामक एक नई उप-धारा जोड़ी गई थी। उक्त उपधारा इस प्रकार है -

"अपराधों और दंड से संबंधित सभी प्रावधान (किसी अपराध के लिए अभियोजन के बदले में दंड से संबंधित प्रावधानों सहित या अपराध के लिए दंड या सजा के अलावा लेकिन प्रत्येक राज्य के सामान्य बिक्री कर कानून की धारा 10 और 10-ए में प्रदान किए गए मामले से संबंधित प्रावधानों को छोड़कर) ऐसे राज्य में इस अधिनियम के तहत एकत्र किए जाने वाले किसी भी कर के मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन, संग्रह और भुगतान के प्रवर्तन के संबंध में या भुगतान से संबंधित किसी भी प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक संशोधनों के साथ लागू होते हैं जैसे कि इस अधिनियम के तहत कर ऐसे बिक्री कर कानून के तहत ऐसे मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन, संग्रह या लागू करने के साथ कर था।

संशोधन अधिनियम की धारा 9 एक मान्य धारा है और धारा 9 की उप-धारा 2 (ए) के प्रावधान को 5 जनवरी, 1957 से पूर्वव्यापी रूप से लागू करने के लिए शामिल करती है।

(18) जैसा कि संकेत दिया गया है, कानून की बदली हुई स्थिति को देखते हुए, स्पष्ट रूप से खेमका एंड कंपनी मामले में फैसले से विद्वान वकील द्वारा कोई सहायता नहीं मांगी जा सकती है / इस प्रकार यह माना जाना चाहिए कि विद्वान वकील के तर्क में कोई दम नहीं है। लगाए गए नोटिस और जुर्माना लगाने के लिए उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई पूरी तरह से कानूनी और निर्विवाद है।

(19) परिणाम में, दोनों रिट याचिकाएं योग्यताहीन हैं और खारिज कर दी जाती हैं। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

एस.एस. संधावालिया, सी.जे.-मैं सहमत हूँ।

---

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

रजत अरोड़ा  
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी  
चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी